राष्ट्रीय लोक अदालत

UPMZ050012152022

न्यायालय CIVIL JUDGE S.D.F.T.C., Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी–(SMT. SURABHI SHREE GUPTA), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP02504

वाद संख्या–850/2022

शाह आलम बनाम कमर आलम आदि

09.03.2024

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आज वास्ते आदेश प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–20 क पर आदेश हेतु नियत है।

पत्रावली परिशीलन से न्यायालय यह पाती है कि पक्षकारों द्वारा सुलहनामा कागज संख्या–20 क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी में आपसी सुलह हो गय है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 6 आपस में सगे भाई–बहन है तथा प्रतिवादी नं0–7 उनके पिता हैं तथा उनकी माता जी नूरजहां का इन्तकाल हो गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माह सितम्बर–2022 में वाद–पत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्तियों मद (आ) की बाबत जो सेटलमेन्ट/अरेजमेन्ट हुआ ता तथा उसकी बाबत लिखित में मेमोरन्डम दिनांक 10.10.2022 को लिखा गया था तथा दिनांक 02.11.2022 को तकमील होकरक नोटेरी हुआ था, वह वादी एवं प्रतिवादीगण सभी पक्षों को स्वीकार्य है, जिसके अनुसार वादी शाह आलम को वाद–पत्र के अन्त में शेडयूल (ब) में वर्णित सम्पत्ति कमर आलम प्रतिवादी नं0–1 को शेडयूल (अ) में वर्णित सम्पत्ति मौहम्मद शोएब आलम प्रतिवादी नं0–2 को शेडयूल (स) में वर्णित सम्पत्ति एवं प्रतिवादी नं0–7 नफीस अहमद को शेडयूल (द) में वर्णित सम्पत्तियां प्राप्त हुई तथा प्रतिवादीगण 3 ता 6 वादी एवं प्रतिवादी नं0–2 की बहनों ने अपने हकूक उक्त सम्पत्तियों की बाबत अपने भाईयों के हक में सरेन्डर कर समाप्त कर दिये थे, इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण नं0–1, 2 व 7 अपनी–अपनी सम्पत्तियों पर मालिक, काबिज हैं। अब कोई नजा किसी भी प्रकार का वादी एवं प्रतिवादीगण में नहीं रहा है। वाद –पत्र को समझौते के आधार पर निर्णीत करने की याचना की गयी है। उपरोक्त सुलहनामा पर वादी

Digitally signed by SURABHI SHREE GUPTA
Date: 2024.03.09 13:37:52 IST
Reason: Order
Location: Civil Judge (S.D.),FTC

शाह आलम के फोटो व हस्ताक्षर की पहचान उसके विद्वान अधिवक्ता श्री हसानन्द शर्मा व प्रतिवादीगण कमर आलम, मौ0 शोएब आलम, श्रीमती तरन्नुम, श्रीमती नर्गिस, श्रीमती शमा प्रवीन, कु0 सोबिया परवीन व नफीस अहमद के फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त उनके अधिवक्ता श्री मयंक शर्मा द्वारा की गयी। चूंकि उभयपक्षों के मध्य वाद–पत्र में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में सुलह हो गयी है और अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। अतः उपरोक्त आधार पर सुलहनामा कागज संख्या–20 क न्यायहित में स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा कागज संख्या–20 क स्वीकार किया जाता है। वाद संख्या–850/2022 सुलहनामा 20 क के प्रकाश में निर्णीत किया जाता है। सुलहनामा कागज संख्या–20 क डिक्री का भाग होगा तथा यह सुलहनामा वाद के पक्षकारों पर ही बाध्यकारी होगा। उक्त सुलहनामें का प्रभाव राज्य सरकार अथवा उसके अधीन कार्य करने वाली किसी संस्था को प्रभावित नहीं करेगा। यदि पक्षकारों द्वारा सुलहनामें के माध्यम से किसी भी तरीके का कोई छलकपट अथवा कूट रचना की जाती है तो यह सुलहनामा अपने आपमें ही शून्य होगा। इस सुलहनामें का विवादित सम्पत्ति का स्वरूप वाद कथनों से भिन्न होने पर कोई प्रभाव नहीं होगा। पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरभि श्री गुप्ता)
सिविल जज (सी0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
मुजफ्फरनगर।